भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 148
(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>वेतन और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा</u>

148. श्री पी. करुणाकरनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का कारपोरेट क्षेत्र में वेतन और परिलब्धियों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है;
(ग) क्या सरकार बिक्रीगत कमीशन/विमान सेवाओं के लाभांश और यात्री-यातायात में हिस्सेदारी जैसे प्रोत्साहक उपायों की सीमा भी निर्धारित करने की योजना बना रही है:
(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है; और
(ङ) यदि नहीं, तो सरकारी और निजी क्षेत्र के वेतनों में किस प्रकार समानता लाए जाने का विचार है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम के तहत कारपोरेट क्षेत्र में बोर्ड स्तर के प्रबंधकों के लिए पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में शुद्ध लाभ का 10% तथा गैर पूर्णकालिक निदेशकों के मामले में शुद्ध लाभ का 1% है।

(घ): उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ड.): प्रश्न नहीं उठता।

*****